

उत्तर प्रदेश शासन राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-496/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(186)-2021

लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2021

अधिसूचना

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2017) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषदकी सिफारिशों पर, भारत के अनेक भागों में महामारी कोविड-19 को फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये एतद्द्वारा निम्नवत् रूप में अधिसूचित करती हैं:-

(i) जहां, किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्रवाई को पूर्ण करने या उसका अनुपालन करने के लिए कोई समय सीमा, जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 से 30 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान आती है, उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गयी हो या तद्धीन विहित या अधिसूचित की गयी हो, और जहां उक्त समय सीमा के भीतर ऐसी कार्यवाही पूर्ण न की गयी हो या उसका अनुपालन न किया गया हो वहाँ ऐसी कार्यवाही को पूर्ण किये जाने या उसका अनुपालन किये जाने की समय सीमा दिनांक 31 मई, 2021 तक बढ़ायी जा सकती है जिसमें निम्नलिखित प्रयोजन सम्मिलित होंगे:-

(क) ऊपर उल्लिखित अधिनियमों के उपबंधों के अधीन किसी नाम से आहूत किसी प्राधिकरण, आयोग या अधिकरण द्वारा, किसी कार्यवाही को पूर्ण किया जाना या कोई, आदेश पारित किया जाना या कोई नोटिस, सूचना, अधिसूचना जारी किया जाना और किसी नाम से आहूत ऐसी अन्य कार्यवाही का अनुमोदन किया जाना या उसकी स्वीकृति प्रदान किया जाना; या

(ख) ऊपर उल्लिखित अधिनियमों के उपबंधों के अधीन कोई अपील, उत्तर या आवेदन दाखिल किया जाना अथवा कोई रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, कथन या किसी नाम से आहूत ऐसे अन्य अभिलेख प्रस्तुत किया जाना;

किन्तु उक्त समय विस्तार उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लागू नहीं होगा, अर्थात्:-

(क) अध्याय IV;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(ग) उपधारा (3), (4) और (5) के सिवाय धारा 39;

(घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा

(ड) उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन बनाये गये नियमः परंतु यह कि जहां, उत्तर प्रदेशमाल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 9 में विनिर्दिष्ट या तद्धीन विहित या अधिसूचित किसी प्राधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्रवाई को पूरी करने की कोई समय सीमा दिनांक 01 मई, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान आती हो और जहां ऐसी कार्रवाई ऐसे समय के भीतर पूरी न की गई हो वहाँ ऐसी कार्रवाई को पूरी करने की समय सीमा दिनांक 15 जून, 2021 तक बढ़ा दी जायेगी।

(ii) ऐसे मामलों में, जहां कोई नोटिस, प्रतिदाय दावा को पूर्णतः या आंशिक रूप में अस्वीकृत करने के लिए जारी की गयी हो और जहां उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (5) के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय सीमा दिनांक 15 अप्रैल, 2021 से 30 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान आती हो ऐसे मामलों में उक्त आदेश जारी करने की समय सीमा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का प्रतिउत्तर प्राप्त किये जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन या दिनांक 31 मई, 2021, जो भी पश्चात्वर्ती हो, तक बढ़ा दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,



(संजीव मिश्र)

अपर मुख्य सचिव